


5

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 28, सोमवार, शाके 1937-मई 18, 2015 <i>Vaisakha 28, Monday, Saka 1937-May 18, 2015</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 13, 2015

एस.ओ. 32 :- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम सं. 27) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं पर उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जाना आवश्यक है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में, विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

“7. राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा।”

[संख्या एफ3 (33) एजु./3/85/II]

राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. दिलीप कुमार गोयल,
संयुक्त शासन सचिव।

EDUCATION (GR.IV)DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 13, 2015

S.O. 32 .- In exercise of the powers conferred by section 8 of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992 (Act No. 27 of 1992), the State Government being of the opinion that it

7

is necessary to apply the provisions of the said Act to examinations conducted by the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board, hereby makes the following amendment in Schedule appended to the said Act, namely:-

AMENDMENT

In Schedule appended to the said Act, after the existing serial number 6 and entries thereto, the following new serial number and entries thereto shall be added, namely:-

"7. Any examination conducted by the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board."

[No. F.3 (33) Edu.3/85/II]
By Order of the Governor,
Dr. Dilip Kumar Goyal,
Joint Secretary to the Govt.

Government Central Press, Jaipur.